कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, मध्यप्रदेश
(पंजीयन भवन, पुरानी विधान सभा के सामने, भोपाल–462003)

क्रमांक/2436/तकनीकी/2012 भोपाल, दिनांक सितंबर 2012 18.9.12

प्रति,

समस्त वरिष्ठ उप पंजीयक/
समस्त उप पंजीयक
मध्यप्रदेश

विषयः– मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना अंतर्गत ऋण दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क से छूट बाबत् ।

संदर्भः– मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना कमांक बी–4–02–2011–2–पांच (15) दिनांक 10.05.2011

उपरोक्त विषयक संदर्भित अधिसूचना द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अधीन आवास निर्माण के प्रयोजन के लिए प्राप्त होने वाले ऋण पर स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान की गई है । संदर्भित अधिसूचना की प्रति इस कार्यालय के पत्र कमांक 1354/तकनीकी/2011 भोपाल, दिनांक 03.06.2011 द्वारा आपको प्रेषित की गई है ।

2. मिशन संचालक, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास द्वारा यह ध्यान में लाया गया है कि कतिपय उप पंजीयकों द्वारा संदर्भित अधिसूचना अनुसार ऋण दस्तावेजों पर नियमानुसार छूट प्रदान नहीं की जा रही है तथा विलेखों के पंजीयन में अनावश्यक बिलंब किया जा रहा है । यह स्थिति उचित नहीं है ।

3. अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि संदर्भित अधिसूचना अनुसार स्टाम्प शुल्क में दी गई छूट प्रदाय करते हुए दस्तावेज के शीघ्र पंजीयन की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए ।

Dipali Rastogi

महानिरीक्षक पंजीयन
मध्यप्रदेश

पृष्ठांकन क्रमांक/ 2437 भोपाल दिनांक 18 सितंबर 2012

प्रतिलिपिः—

(1) मिशन संचालक, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास की ओर सूचनार्थ ।

(2) समस्त वरिष्ठ जिला पंजीयक/जिला पंजीयक, मध्यप्रदेश की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

महानिरीक्षक पंजीयन
मध्यप्रदेश